

उत्तर प्रदेश शासन  
श्रम अनुभगा-4  
संख्या-24/2020/449/36-4-2020-20/2018टीसी-1  
लखनऊ दिनांक 26 जून, 2020  
कार्यालय-आदेश

श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर क्षेत्र, कानपुर का चयन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 द्वारा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर हो जाने के कारण उनके पत्र दिनांक 05-05-2020 द्वारा कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-257/परि0वि0राज0तक0-20 दिनांक 03-06-2020 द्वारा प्राप्त आख्या एवं श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर क्षेत्र, कानपुर के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कारखाना को श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से कार्यमुक्त किये जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव का श्रम विभाग में कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा।

सुरेश चन्द्रा  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-24/2020/449/36-4-2020-20/2018टीसी-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।

- 3- निदेशक कारखाना, कानपुर ।
- 4- उप निदेशक कारखाना, कानपुर क्षेत्र, कानपुर ।
- 5- वित्त नियंत्रक, श्रमायुक्त कार्यालय, उ०प्र० कानपुर ।
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज ।
- 7- श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कारखाना, कानपुर क्षेत्र,  
कानपुर ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)  
अनु सचिव ।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।